राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–669/2017/जयपुर

मैसर्स रिद्धि सिद्धि सेल्स कॉरपोरेशन,
जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   घट–द्वितीय, वृत–एन, जयपुर
2. उपायुक्त(प्रशासन)तृतीय,
   वाणिज्यिक कर, जयपुर .....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित
श्री विक्रम गोगरा,
अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांकः– 09.05.2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी ने उपायुक्त(प्रशासन)तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"**कहा जायेगा) की धारा 34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24.01.2017 के विरूद्ध पेश की गयी हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–एन, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"**कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2013–14 का एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.07.2016 को पारित करते हुए, अपीलार्थी के विरूद्ध रू0 77,721/– की मांग सृजित की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत Re-open हेतु प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के समक्ष पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने मियाद बाहर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 24.01.2017 से अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि सशक्त अधिकारी व अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा आदेश पारित कर किया है, जो नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के विरूद्ध है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रकरण रिओपन करने हेतु सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थीगण–राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय पर मनन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि

सशक्त अधिकारी ने एकपक्षीय आदेश पारित किया है, जिससे अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला है। इसलिए न्याय हित में प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात पुनः दो माह में आदेश पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी को भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह दिनांक 13.06.2017 को सशक्त अधिकारी के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों।

6. फलतः प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता हैं ।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
सदस्य